



## **Janki Devi Bajaj Government Girls College, Kota**



### **Self-Study Report Criterion 5**

**5.1.4: The institution adopts the following for the redressal of student grievances including sexual harassment and ragging cases**

<b>S.NO.</b>	<b>Content</b>	<b>Page no.</b>
<b>1</b>	<b>Organization-wide awareness and undertaking of policies with zero tolerance</b>	<b>1 - 13</b>

# SEXUAL HARASSMENT DECLARATION

## DECLARATION

As till date complaints related to any sort of sexual harassment have not been registered with the college administration.

1. Smt. Madhu khanna
2. Dr. Fatima sultana *ft.*
3. Dr. Arti shah *As*
4. Dr. Vikas Jangid *VJ*
5. Member of NGO – Dr. Ekta Dhariwal

*3/12/19*  
प्रचार  
श्री. वि. वि. महाविद्यालय  
कोटा

राजस्थान सरकार  
आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan  
Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/> e-mail: [innovation.cera@gmail.com](mailto:innovation.cera@gmail.com) Phone: 0141-2706847 (0)

पत्रांक: CCE/ Adm./ ISDC/ Training & Workshops/2018/ 511

Date: 26<sup>th</sup> December 2018

प्राचार्य  
राजकीय महाविद्यालय (समस्त)  
राजस्थान।

विषय: कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु महाविद्यालय स्तर पर आन्तरिक समन्वय समिति का गठन करने एवं जागरूकता के लिये कार्यशाला का आयोजन करवाने का मत।

लेख है कि भारत सरकार द्वारा Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (विश्रांति एक्ट) के संघ में जारी दिशा निर्देशों के क्रम में सभी महाविद्यालयों में कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु आन्तरिक समिति गठित करने के निर्देश पूर्व में जारी किये जा चुके हैं। इन निर्देशों की अनुपालना में एक्ट में यथा निर्दिष्ट समिति गठन, जिसमें बाह्य सदस्य तथा 03 विद्यार्थी प्रतिनिधि मनोनयन करते हुए इसी महाविद्यालय परिसर में सूचना पट्ट पर तथा कुछ अन्य स्थानों पर विद्यार्थियों एवं आमजन की सूचना बड़े बोर्ड पर संबंधित समिति सदस्यों के मोबाइल नम्बर सहित लिखवाया जाना सुनिश्चित करें। सभी महाविद्यालय अपने यहां गठित समिति की सूचना (सभी सदस्यों के मोबाइल नम्बर सहित) आयुक्तालय की ई-मेल [innovation.cera@gmail.com](mailto:innovation.cera@gmail.com) पर आवश्यक रूप से दिनांक 03 जनवरी 2019 तक प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। इस समिति की सूचना एवं विवरण महाविद्यालय की वेबसाइट पर भी अपलोड करें।

इसी क्रम में लेख है कि महाविद्यालय में विद्यार्थियों, संकाय सदस्यों एवं समस्त कार्यालय स्टाफ की जानकारी हेतु जनवरी 2019 के द्वितीय सप्ताह तक एक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन करावें। साथ ही, महाविद्यालय में छात्राओं की समस्या निवारण, सुरक्षा एवं स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करने हेतु एक Girls' Mentoring Cell का गठन कर सूचना पट्ट के माध्यम से सभी की सूचना नोटिस बोर्ड पर लगावें। संकाय सदस्यों के माध्यम से छात्राओं को भयमुक्त, सुरक्षित एवं स्वस्थ वातावरण के प्रति आश्वस्त करें। किसी भी प्रकार की समस्या आने पर महाविद्यालय स्तर पर उसके निदान का पूर्ण एवं पारदर्शी प्रयास सुनिश्चित करें।

  
प्रदीप बोर, IAS  
आयुक्त, कालेज शिक्षा

प्रतिलिपि सूचनार्थः

पत्रांक: CCE/ Adm./ ISDC/ Training & Workshops/2018/ 512 Date: 26<sup>th</sup> December 2018

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. संपुक्त निदेशक, IIRD/ PU Admn./ P&C/ Acad./ RUSA/ RVRES आकाश, जयपुर।
4. उपविधि परामर्शी, आकाश, जयपुर।
5. ~~...~~ के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु / रसित पत्रावली।

nx\FifcaxwBVD\BONksQdCjCjGWGBpFxmWqSM?projector=1&messagePartId=0.1



कार्यालय प्राचार्य, जानकी देवी बजाज राजकीय कन्या महाविद्यालय, कोटा

अण्टाघर सर्किल के पास, नयापुरा, कोटा 324001

टेलिफोन व फैक्स नं. 0744-2324074

ई-मेल : jdbcollege@gmail.com

क्रमांक:जादेब/2019/ 160

दिनांक : 17-01-2019

डॉ. कल्पना शर्मा,  
एडवोकेट, राजस्थान हाई कोर्ट,  
कोटा।

विषय:- कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु महाविद्यालय में  
कार्यशाला में आमंत्रण बाबत।

संदर्भ:- आयुक्तालय के पत्रांक cce/Adm./ISDC/Training & Workshops/2018/511  
दिनांक 26.012.2018 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि भारत सरकार द्वारा Sexual Harssment of  
Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (विशाखा एक्ट) के  
सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों एवं आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के पत्र की  
अनुपालना में महाविद्यालय में कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न की रोकथाम एवं जागरूकता  
हेतु दिनांक 18.01.2019 को सुबह 11.00 बजे महाविद्यालय के ज्ञान केन्द्र में एक कार्यशाला  
का आयोजन किया जा रहा है।

अतः आप उक्त दिनांक को होने वाली कार्यशाला में व्याख्यान हेतु सादर आमंत्रित हैं।

प्राचार्य

जा.दे.ब.राज.कन्या महाविद्यालय  
कोटा



कार्यालय प्राचार्य, जानकी देवी बजाज राजकीय कन्या महाविद्यालय, कोटा

अण्टाघर सर्किल के पास, नयापुरा, कोटा 324001

टेलिफोन व फॅक्स नं. 0744-2324074

ई-मेल : jdbcollege@gmail.com

क्रमांक:जादेब/2019/ 160

दिनांक : 17-01-2019

डॉ. कल्पना शर्मा,  
एडवोकेट, राजस्थान हाई कोर्ट,  
कोटा।

विषय:- कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु महाविद्यालय में  
कार्यशाला में आमंत्रण बाबत।

संदर्भ:- आयुक्तालय के पत्रांक cce/Adm./ISDC/Training & Workshops/2018/511  
दिनांक 26.012.2018 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि भारत सरकार द्वारा Sexual Harssment of  
Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (विशाखा एक्ट) के  
सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों एवं आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के पत्र की  
अनुपालना में महाविद्यालय में कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न की रोकथाम एवं जागरूकता  
हेतु दिनांक 18.01.2019 को सुबह 11.00 बजे महाविद्यालय के ज्ञान केन्द्र में एक कार्यशाला  
का आयोजन किया जा रहा है।

अतः आप उक्त दिनांक को होने वाली कार्यशाला में व्याख्यान हेतु सादर आमंत्रित हैं।

प्राचार्य  
जा.दे.ब.राज.कन्या महाविद्यालय  
कोटा





कार्यालय प्राचार्य, जानकी देवी बजाज राजकीय कन्या महाविद्यालय, कोटा

अण्टाघर सर्किल के पास, नयापुरा, कोटा 324001

टेलिफोन व फैक्स नं 0744-2324074

ई-मेल : jdbcollege@gmail.com

क्रमांक:जादेब/2019/ 162

दिनांक : 17-01-2019

डॉ. के.एम. गवेन्द्रा, सहायक निदेशक,  
कॉलेज शिक्षा, परिक्षेत्र कोटा।

विषय:- कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु महाविद्यालय में  
कार्यशाला में आमंत्रण बाबत।

संदर्भ:- आयुक्तालय के पत्रांक cce/Adm./ISDC/Training & Workshops/2018/511  
दिनांक 26.01.2018 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि भारत सरकार द्वारा Sexual Harssment of Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (विशाखा एक्ट) के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों एवं आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के पत्र की अनुपालना में महाविद्यालय में कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न की रोकथाम एवं जागरूकता हेतु दिनांक 18.01.2019 को सुबह 11.00 बजे महाविद्यालय के ज्ञान केन्द्र में एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है जिसमें आप उपस्थित होकर, अनुग्रहीत करें।

प्राचार्य

जा.दे.ब.राज.कन्या महाविद्यालय  
कोटा



कार्यालय प्राचार्य, जानकी देवी बजाज राजकीय कन्या महाविद्यालय, कोटा  
अण्टाघर सर्किल के पास, नयापुरा, कोटा 324001  
टेलिफोन व फॅक्स नं. 0744-2324074  
ई-मेल : jdbcollege@gmail.com

क्रमांक:जादेव / 2019 /

दिनांक : 17.01.2019

### कार्यालय आदेश

महाविद्यालय के समस्त सह/सहायक आचार्यों, मंत्रालयिक कर्मचारियों, सहायक कर्मचारियों, संविदा कर्मचारियों को आदेशित किया जाता है कि महाविद्यालय में भारत सरकार द्वारा Sexual Harssment of Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (विशाखा एक्ट) के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों एवं आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के पत्र की अनुपालना में महाविद्यालय में कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न की रोकथाम एवं जागरूकता हेतु दिनांक 18.01.2019 को सुबह 11.00 बजे महाविद्यालय के ज्ञान केन्द्र में एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है जिसमें आप सभी की उपस्थिति अनिवार्य है।

प्राचार्य  
जा.दे.ब.राज.कन्या महाविद्यालय,  
कोटा

## जानकी देवी बजाज राजकीय कन्या महाविद्यालय, कोटा

क्रमांक:जादेब / 2019 /

दिनांक: 18.01.2019

### प्रेस समाचार

जानकी देवी बजाज राजकीय कन्या महाविद्यालय कोटा में आज दिनांक 18.01.2019 को महाविद्यालय में आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर की अनुपालना में कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न की रोकथाम एवं जागरूकता पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यशाला के मुख्य अतिथि श्री बन्ने सिंह, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर तथा श्री के.एम. गवेन्द्रा, सहायक निदेशक परिक्षेत्र कोटा व प्राचार्य डॉ. शीटा गुलाटी की अध्यक्षता में माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया।

डॉ. अरूण शर्मा, मेम्बर परमानेंट लोक अदालत कोटा ने अपने व्याख्यान में सभी को यौन उत्पीड़न से बचाव की विभिन्न धाराओं से अवगत करवाते हुए महिला सशक्तिकरण की बात कही।

श्रीमती कल्पना शर्मा, एडवोकेट राजस्थान हाई कोर्ट ने अपने व्याख्यान में विभिन्न अदालती मामलों का उदाहरण देते हुए यौन उत्पीड़न से बचाव के तरीके तथा विभिन्न धाराओं से कार्यशाला में उपस्थित सभी को अवगत करवाया।

यह कार्यशाला लायन्स क्लब कोटा (समर्थ) तथा एसटीएन चैनल के सहयोग से आयोजित करवाई गई। लायन्स क्लब की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती डोली मदनानी व वर्तमान अध्यक्ष श्रीमती वन्दना तथा डॉ. नसरा खान के नेतृत्व में सभी को "टू माई ब्रदर" एक लघु फिल्म दिखाई गई जिसमें यह बताया गया कि कैसे हर लड़की यह चाहती है कि सभी लड़के मेरे भाई जैसे क्यों नहीं?

कार्यशाला में डॉ. अनीता गुप्ता, प्राचार्य राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा, डॉ. रूपमति पीपल, प्राचार्य राजकीय वाणिज्य कन्या महाविद्यालय कोटा, श्रीमती प्रेमजीत कौर सूरी, श्रीमती मधु खन्ना तथा महाविद्यालय के विभिन्न सह/सहायक आचार्य, मंत्रालयिक, सविदा कर्मचारियों व महाविद्यालय की अनेक छात्राओं ने कार्यशाला में भाग लिया।

कार्यशाला का संचालन डॉ. फातिमा सुल्ताना, संयोजिका ने किया।



प्राचार्य

जा.दे.ब.राज.कन्या महाविद्यालय,  
कोटा

**J.L.B. Government Girls College, Kota**

**One Day Workshop**

on  
**Sexual Harassment of Women at Workplace**  
(Prevention, Prohibition and Redressal)

**18 January 2019**

In Association of  
**LIONS CLUB KOTA SAMARTH**

Speakers : Dr. Arun Sharma, Member Permanent, Lok Adalat, Kota  
Smt. Kalpana Sharma, Advocate, Rajasthan High Court

Short Film : "To My Brother"

12x6

Verified  
  
12/1/19



WOMEN AT WORKPLACE

18 January 2018  
J. D. B. Govt. Girls College, Kote

	Name	Class B.S.C 1 <sup>st</sup> year	Signature
1	Dhruv Jain	B.Sc 1 <sup>st</sup> Year	Dhruv Jain
2	Nupur Suman	B.Sc 1 <sup>st</sup> Year	Nupur Suman
3	Muskan Bee	B.Sc 1 <sup>st</sup> Year	Muskan
4	Chanchal Meena	Class B.S.C 1 <sup>st</sup> Year	Chanchal Meena
5	Manisha Gupta		Manisha
6	Bhumiika Chaudhary	B.Sc 1 <sup>st</sup> Year	Bhumiika
7	Maanika Gochari	B.Sc 1 <sup>st</sup> year	Maanika
8	Shivani Suman	B.Sc I year	Shivani
9	Susikhi Rajawat	B.Sc I year	Susikhi
10	Pooja Meera	B.Sc I year	Pooja Meera
11	Upma Yadav	B.Sc 1 <sup>st</sup> year	Upma
12		B.A 3 <sup>rd</sup> year	
13	Diksha Nama	B.Sc III year	Diksha Nama
14	Vishakha Sharma	B.Sc II year	Vishakha
15	Sivapnil Singh	B.Sc II year	Singh
16	Gulfsheen Khan	B.Sc I year	Gulfsheen
17	Kehlipara Malav	B.Sc III year	Kehlipara
18	Madhu Malav	B.Sc III year	Madhu
19	Mahima Gupta	B.Sc III year	Mahima
20	Gurucharan Panchal	B.Sc II year	Gurucharan
21	Rachna Arimera	B.Sc III year	Rachna
22	Pooja Sharma D/o Mr. Suresh Sharma	B.Sc III year	Pooja Sharma
23	Brijanka Koli	B.Sc III year	Brijanka Koli
24	Poozina Singh Chauhan	B.Sc III year	Poozina
25	Archana Meena	B.Sc III year	Archana

Teacher's Signature :

26	Jyoti Nagar	B.Sc. III <sup>rd</sup> year	Jyotinagar
27	Urvasi Agrawal	B.Sc. I <sup>st</sup> yr	Urvasi
28	Chhavi Sharma	B.Sc. I <sup>st</sup> year	Chhavi
29	Suman Kumari Meghwal	B.Sc. III <sup>rd</sup> year	Suman Meghwal
30	Yashasvi Jangid	B.Sc. III <sup>rd</sup> year	Yashasvi
31	Priyanka Meghwal	B.Sc. III <sup>rd</sup> year	Priyanka Meghwal
32	Sona Suman	B.Sc. III <sup>rd</sup> year	Sona Suman
33	Meenakshi Sharma	B.Sc. III year	Meenakshi Sharma
34	Harshita Sharma	B.Sc. III yr.	Harshita
35	Harshita Nagar	B.Sc. III yr.	Harshita
36	Poojima Sen	B.Sc. I year	Poojima
37	Kiran meena	B.Sc. I year	Kiran
38	Bharti Malav	B.Sc. I year	Bharti
39	Anisha Aggarwal	B.Sc. I year	Anisha Aggarwal
40	Chanchal Jain	B.Sc. II yr.	Chanchal Jain
41	Afifa Khan	B.Sc. 2 <sup>nd</sup> yr.	Afifa
42	Sardar	B.Sc. I <sup>st</sup> year.	Sardar
43	Vinika Sharma	B.Sc. I <sup>st</sup> year	Vinika
44	Honey Sharma	B.Sc. I <sup>st</sup> year	Honey
45	Deepika gochhay	B.Sc. I <sup>st</sup> year	Deepika
46	Jaya Kushwah	B.Sc. 1 <sup>st</sup> year	Jaya
47	Deepakshi Sharma	B.Sc. 1 <sup>st</sup> year	Deepakshi
48	Pooja Goswami	B.Sc. III <sup>rd</sup> year	Pooja
49	Priyanka Malav	B.Sc. I <sup>st</sup> year	Priyanka
50	Sarita Kumari Mina	B.Sc. I <sup>st</sup> year.	Sarita
51	Mona Malav	B.Sc. I <sup>st</sup> year	Mona
52	Kiran Kumari Malav	B.Sc. I <sup>st</sup> year	Kiran

SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN  
AT WORKPLACE

18 January 2010

J.D.B. Govt. Girls College, Kota.

	Name	Designation	Signature
1.	Dr. FATIMA SULTANA	ASST. PROFESSOR	<i>ft</i>
2.	Dr. Arun Sharma	Expert	
3.	Dr. Kalpana Sharma	Expert	
4.	Dr. Rita Gulati	Principal	
5.	Dr. Pratima Shrivastav	ASST. PROFESSOR	
6.	Mrs. Madhu Khanna	ASST. PROFESSOR	
7.	Mrs. Prejeet Sani	ASST. PROFESSOR	
8.	Dr. Manisha Sharma	" "	
9.	Dr. Suchita Jain	" "	
10.	Dr. Poonam Jainmal	" "	
11.	Dr. Smriti Johari	" "	
12.	Dr. Alpana Johari	" "	
13.	Dr. Vineeta Kaushik	" "	
14.	Dr. Sangeeta Singh	" "	
15.	Dr. Masmec Meena	ASSISTANT PROFESSOR	
16.	Dr. Jaishee Daveey	" "	
17.	Dr. Jagriti Meena	" "	
18.	Dr. Saraswati Agaswal	ASSOCIATE PROFESSOR	
19.	Ms. Sonia Mathur	" "	
20.	Dr. Arti Shah	" "	
21.	Dr. Rekha Kalani	" "	
22.	Dr. Renu Tyagi	" "	



## महाविद्यालय में 'कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न' से संबंधित वेबिनार सम्पन्न



### पत्रिका न्यूज नेटवर्क

patrika.com

कोटा, जेठवादी कन्या महाविद्यालय में मानवाधिकार प्रकोष्ठ के तत्वावधान में शनिवार को कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न सुरक्षा व जागरूकता विषय पर ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन किया गया।

मुख्य वक्ता नई दिल्ली की अतिरिक्त विधिक अधिकारी वषा चन्दा ने समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा वास्तविक तथ्यों से अवगत कराया। वेगलुरु की अधिवक्ता रमया वी टी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव व लैंगिक

असमानता के व्यवहारिक पक्ष पर प्रकाश डाला। प्राणीशास्त्र की फैकल्टी की मोतु सिर फाजल पारवाल व एमएससी पूर्वोद्दी उतरीड की छात्राओं ने सवाल में हिस्सा लिया और महिलाओं के माध्यम से दर्शाए गए उत्पीड़न पर अपना पक्ष रखा। मानवाधिकार क्लब प्रभारी डॉ. फातिमा सुल्ताना ने कहा कि आनन्दम का मतलब होता है सुखी जीवन जीना। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. अनिता कोठारी ने महिला उत्पीड़न एक्ट के बारे में समझाया। अन्त में मानवाधिकार प्रकोष्ठ की समन्वयक डॉ. जगृति मीणा ने धन्यवाद व्यक्त किया।

## कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न पर वेबिनार का आयोजन



### नव ज्योति कोटा

जलकी देवी व जज राजकोव चन्दा महाविद्यालय कोटा में शनिवार को मानवाधिकार प्रकोष्ठ के तत्वावधान में कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न सुरक्षा व जागरूकता विषय पर वेबिनार का ऑनलाइन आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य वक्ता वषा चन्दा व रमया वीटी कोटारि रण। मानवाधिकार क्लब प्रभारी व आनन्दम कोटारि अधिवक्ता डॉ. फातिमा सुल्ताना ने बताया कि आनन्दम दिवस प्रति मात व

आनन्दम शनिवार को मनाया जाता है आनन्दम का मतलब होता है सुखी जीवन जीना।

वेबिनार के माध्यम से छात्राओं को प्राण सुरक्षा व जागरूकता के माध्यम से कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न एक्ट के बारे में समझाया गया। अन्त में मानवाधिकार प्रकोष्ठ की समन्वयक डॉ. जगृति मीणा ने धन्यवाद व्यक्त किया।


अनिता  
प्राचार्य

जा.दे.व.स. लीय कन्या महाविद्यालय  
कोटा

2021

## E- Webinar on “Sexual Harassment of Women at Workplace, Protection & Awareness”

E- Webinar on the “Sexual Harassment of Women at Workplace, Protection and Awareness” was organized on 27 Feb, 2021 by Associate Professor, Dr. Fatima Sultana, Convener and Assistant Professor, Dr. Jagruti Meena, Co-ordinator. The speakers Mrs. Varsha Chandra, Indian Legal Service, Additional Law Officer, New Delhi and Ms. Ramya. B. T., Advocate (Karnataka State Bar), LLB, Durham, UK, spoke on Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal), Act 2013.





JANKI DEVI BAJAJ GOVERNMENT GIRLS COLLEGE, KOTA

ANTI-RAGGING COMMITTEE

Minutes of meeting.

The meeting of anti-ragging committee was held on 13/2/2021 at 2.00 P.M in Principal's Chamber. Dr. Anita Kothari, Principal, presided over the meeting.

The following members were present.

- 1 Smt. Madhu Khanna MSJOM
- 2 Dr. Shuchita Jain Shuchita
- 3 Dr. Arati Shah Arati

The following points were discussed.

- Posters regarding awareness about ragging should be displayed in the campus at prominent places
- Notice regarding "Strict disciplinary action against students involved in ragging" should be uploaded on webpage of the college
- All newly admitted girls should be motivated to fill the online anti-ragging undertaking.

All members decided to work accordingly.

The meeting was ended with the vote of thanks to the chair.

1 MSJOM 2 Shuchita 3 Arati

Arati 13/02/2021  
PRINCIPAL

Arati  
प्राचार्य

राजकीय कन्या महाविद्यालय  
कोटा

JANKI DEVI BAJAJ GOVERNMENT  
GIRLS COLLEGE, KOTA.